


यथावत प्रतीत होता है।
::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक 1 आरटीएम का मु0नं0 36 पत्थर नं0 249/436 के किला नं0 25 के कोर्नर मे से लघुतम रूप से त्रिभुजाकार में 0.004 हैक्टर भूमि रास्ता के रूप में स्वीकृति किया जाता है तथा एवं उक्त स्वीकृत रास्ते की एवज में रास्ता में आयी भूमि के बदले में प्रार्थी से उक्त चक की वर्तमान डीएलसी दर का दो गुणा राशि का भुगतान अप्रार्थीया संख्या 1 को करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाते है। राशि अदा करने के उपरान्त अप्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ रास्ते का रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 20/5/19 को सरे ईजलास सुनाया गया।


(मनमोहन मीणा)
उपरवण्ड अधिकारी
अनूपगढ़